न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 13/2020 (2020/00060)

<u>अपीलान्ट्स</u>

बिरमाराम पुत्र रामचन्द्र उर्फ चन्द्राराम खोड, जाति जाट, निवासी ग्राम मियासीन, तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

<u>रेस्पोडेन्ट्स</u>

1. जोरिया पुत्र मंगाराम
2. भगीया पुत्र मंगाराम
3. चन्द्राराम पुत्र मंगाराम
4. धन्नाराम पुत्र मंगाराम

सभी जातियान सरगरा, निवासीगण ग्राम मियासनी, तहसील व जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश तहसीलदार जोधपुर दिनांक 02.03.2020 प्रकरण संख्या 01/2019 प्रकरण अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में पारित किया गया।

———

<u>उपस्थिति :—</u>

1. अधिवक्ता श्री कानाराम गोदारा (अपीलार्थीपक्ष)
2. अधिवक्ता श्री दिनेश लोल (प्रत्यर्थी संख्या 01 ता 04 तक)।

—: <u>आदेष</u> :— दिनांक :— 28.04.2022

अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 आदेश तहसीलदार जोधपुर दिनांक 02.03.2020 प्रकरण संख्या 01/2019 प्रकरण अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में पारित किया गया के विरूद्ध पेष की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी के दादा चौथाराम का रहवासीय बाड़ा सन् 1962 से गांव मियासनी के खसरा नं0 249/289 में आया हुआ है। चौथाराम के देहान्त के बाद चौथाराम के पुत्र रामचन्द्र अर्थात् अपीलान्ट का पिता उसका उपयोग एवं उपभोग कर रहा है। ग्राम मियासनी की सरहद में भूमि खसरा नं0 288 किस्म गै0 मु0 रास्ता जो अपीलान्ट के रहवासीय बाड़ा के बिल्कुल [illegible] सामने है। रेस्पोडेन्टगण ने विधि विरूद्ध गै0 मु0 रास्ता की भूमि में से खसरा संख्या 288/3 रकबा 9 बिस्वा भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:20:27 IST
Reason: SelfAttested

अपने नाम दर्ज करवा दी जबकि रास्ते की भूमि का आवंटन विधि विरूद्ध है। राजस्व रिकॉर्ड में गलत प्रविष्टि हो जाने से रेस्पोडेन्ट पक्ष ने गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण करना प्रारम्भ किया तो अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट पक्ष को रास्ते की भूमि पर निर्माण करने से रोका। उस गलत प्रविष्टि से अपीलान्ट को बेदखल करवाने के लिए रेस्पोडेन्ट ने तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर तहसीलदार ने अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

अपीलान्ट अभिभाषक द्वारा यह अपील प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश लोल ने वकालतनामा पेश किया। प्रकरण से संबंधित मूल रेकर्ड तहसीलदार जोधपुर से प्राप्त किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस दिनांक 19.04.2022 को सुनी जाकर पत्रावली आदेश हेतु रखी गई।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में बतलाया कि अपीलार्थी के दादा चौथाराम का रहवासीय बाड़ा सन् 1962 से गांव मियासनी के खसरा नं0 249/289 में आया हुआ है। चौथाराम के देहान्त के बाद चौथाराम के पुत्र रामचन्द्र अर्थात् अपीलान्ट का पिता उसका उपयोग एवं उपभोग कर रहा है। ग्राम मियासनी की सरहद में भूमि खसरा नं0 288 किस्म गै0 मु0 रास्ता जो अपीलान्ट के रहवासीय बाड़ा के बिल्कुल द्वार के सामने है। रेस्पोडेन्टगण ने विधि विरूद्ध गै0 मु0 रास्ता की भूमि में से खसरा संख्या 288/3 रकबा 9 बिस्वा भूमि अपने नाम दर्ज करवा दी जबकि रास्ते की भूमि का आवंटन विधि विरूद्ध है। राजस्व रिकॉर्ड में गलत प्रविष्टि हो जाने से रेस्पोडेन्ट पक्ष ने गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण करना प्रारम्भ किया तो अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट पक्ष को रास्ते की भूमि पर निर्माण करने से रोका। उस गलत प्रविष्टि से अपीलान्ट को बेदखल करवाने के लिए रेस्पोडेन्ट ने तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने प्रार्थना–पत्र दर्ज कर अपीलान्ट को नोटिस भेजा। अपीलान्ट को एक नोटिस दिनांक 10.02.2020 को प्राप्त हुआ जिसमें तारीख पेशी 19.02.2020 थी। नोटिस के साथ वाद की प्रति सलंग्न नहीं थी। प्राप्त नोटिस किस मामले से संबंधित है एवं किस संदर्भ है ? इस पर अपीलान्ट द्वारा अधिवक्ता से संपर्क करने पर दिनांक 17.02.2020 को प्रार्थना–पत्र बाबत् प्रतिलिपि का प्रस्तुत किया जिसके क्रमांक 2599 व प्रतिलिपि दिये जाने की तारीख 26.02.2020 थी किन्तु प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई और दिनांक 19.02.2020 को अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश कर प्रार्थना–पत्र की प्रतिलिपि दिये जाने का अनुरोध किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:20:27 IST
Reason: SelfAttested

लेकिन नकल उपलब्ध नहीं करवाई गई और कहा की नकल हेतु आपका आवेदन प्राप्त हो गया है इसलिए नकल आवेदन के मार्फत नकल उपलब्ध हो जायेगी दिनांक 02.03.2020 उपस्थित होने पर बताया कि नकल हेतु पत्रावली भेजी जायेगी उसके बाद तारीख दी जायेगी और उसके बाद कार्यलय से बताया गया कि पत्रावली का फैसला दिनांक 02.03.2020 को कर दिया गया। इस पर अपीलान्ट की ओर से दिनांक 06.03.2020 को नकल हेतु आवदेन पेश किया गया तथा दिनांक 19.03.2020 को नकल प्राप्त हुई इस पर अपीलान्ट द्वारा इस मामले के सन्दर्भ में आवश्यक दस्तावेज नक्शा, जमाबन्दी की नकले दिनांक 23.03.2020 को प्राप्तकी गई तब तक देश में कोविड–19 महामारी को देखते हुए दिनांक 22.03.2020 से लोकडाउन लगा दिया गया जो दिनांक 31.05.2020 तक चला। इस अवधि में माननीय उच्च न्यायालय में भी म्याद के बिन्दु में छूट दी गई और माननीय उच्चतम न्यायालय ने लॉकडाउन की समयावधि को म्याद में शुमार नहीं करने का आदेश पारित किया। दिनांक 27.05.2020 को भू–अभिलेख निरीक्षक काकेलाव व हल्का पटवारी बिरामी मौके पर आए तब अपीलान्ट ने उनको बतलाया कि लॉकडाउन की अवधि है और अपीलान्ट का उक्त विवादित आराजी पर सन् 1962 से कब्जा है। इस पर उन्होनें बतलाया कि उनके पास हटाने के आदेश है और कहा कि आप तुरन्त अपील करे अन्यथा लॉकडाउन की अवधि में भी आदेशानुसार कार्यवाही करनी पड़ेगी इस कारण लॉकडाउन में यह अपील पेश की गई है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बतलाया कि उक्त विवाग्रस्त जमीन का आवंटन रेस्पोडेन्ट पक्ष को सन् 1970 में हुआ था। खसरा संख्या 288 रकबा 5.01 बीघा किस्म गै0 मु0 रास्ता है। खसरा संख्या 288 / 3 रकबा 0.09 बीघा की किस्म गै0 मु0 बाड़ा है जिसका आवंटन नियमानुसार रेस्पोडेन्ट पक्ष को तहसीलदार जोधपुर द्वारा सन् 1977 में सनद जारी कर किया गया। उक्त आदेश को आज दिनांक तक किसी द्वारा चुनौती नहीं दी गई। उक्त विवादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट पक्ष द्वारा प्रधानमंत्री योजना से स्वीकृत राशि से पक्का मकान का निर्माण किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से निरस्त फरमावें।

हमने उभयपक्ष अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रिकॉर्ड का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23.03.2020 की अनुपालना में अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपील का गुणावगुण पर निर्णय इस प्रकार किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है रेस्पो0

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:20:27 IST
Reason: SelfAttested

पक्ष द्वारा धारा 183 बी के तहत प्रार्थना–पत्र तहसीलदार जोधपुर के समक्ष पेश किया गया। तहसीलदार जोधपुर ने प्रार्थना–पत्र दर्ज कर अप्रार्थी/अपीलार्थी को नोटिस जारी किये तथा पटवारी बिरामी से मौका रिपोर्ट मंगवाई। पटवारी बिरामी ने दिनांक 15.11.2019 को मौका रिपोर्ट में बतलाया कि ग्राम मियासनी की जमाबन्दी संवत् 2059–62 की खाता संख्या 49 के खसरा 288/3 रकबा 0.09 बीघा किस्म गै0 मु0 बाड़ा खातेदार जोरिया, भगीया, चन्दाराम पुत्र मंगाराम जाति सरगरा के नाम दर्ज है। जिसकी नक्शा लट्टा में तरमीम की हुई नहीं है। खसरा संख्या 288 में आवेदक जोराराम वगैरा जाति सरगरा एवं बिरमाराम पुत्र रामचंद्र उर्फ चन्दाराम खोड़ जाति जाट दोनों के बाड़े पास–पास स्थित है। अतः इससे स्पष्ट है कि खसरा संख्या 288/3 रकबा 0.09 बीघा रेस्पो. पक्ष की आवंटन सुदा खातदेारी भूमि है तथा रेस्पो0 पक्ष की उक्त भूमि पर अपीलार्थी/अप्रार्थी का अनाधिकृत कब्जा मानते हुए धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बेदखली का आदेश पारित किया गया वो न्यायसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अपीलार्थी का अपील में यह भी कथन रहा कि रेस्पो0 को रास्ते की भूमि का आवंटन किया गया है। उक्त आवंटन से अपीलार्थी के हित किसी प्रकार से प्रभावित होते है तो वे सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने के लिए स्वतन्त्र है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलार्थी सारहीन होने से निरस्त योग्य है जो निरस्त की जाती है।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

आदेश आज दिनांक 28.04.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:20:27 IST
Reason: SelfAttested